प्रश्न सं. [क्र. 726]

परिशिष्ठ-1

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–43 / 10 / 2022 / 19 / यो /925 भोपाल दिनांक 21 / 03 / 2022

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषयः– लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 210वीं बैठक में अनुमोदित कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

––0––

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 210वीं बैठक दिनांक 07.03.2022 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समिति के अनुमोदन के अनुक्रम में कॉलम क्रमांक–4 में अंकित निम्नलिखित कार्यो की कॉलम क्रमांक क्रमशः 5, 6 एवं 3 में दर्शायी गई लंबाई, लागत एवं लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता हैः–

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि0मी0 में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	दतिया	24-5054-0103-2457	ग्राम पंचायत इमलिया (प्रधानमंत्री सड़क से) प्राचीन धार्मिक स्थल चूना खो (हसनपुर खेरा) आश्रम होकर तेतना (प्रधानमंत्री) मार्ग	1.50	88.07
2	होशंगाबाद	24-5054-0101-2457	गाडरिया कुसुमकुई गुराडिया से भैंसादेह मार्ग	13.60	1490.18
3	रायसेन	24-5054-0101-2457	जमुनिया टी. के. टेकापार रामवन कोठीखोह खटोला मार्ग	15.00	1951.78
4	सिंगरौली	24-5054-0102-2457	पड़री बांध मुख्य नहर सड़क और माईनर नहर सड़क मार्ग	17.76	1689.10
5	रीवा	24-5054-0101-2457	टडहर से मझिगवां (मदरावल) मार्ग	8.20	618.20
6	दमोह	24-5054-0101-4149	दमोह जिले के हटा शहर में रेस्ट हाउस के पास दुहिया नाले पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण	0.00	816.59

PATIL/SFC-210-A-2022-1

2/ उक्त कार्यो को उल्लेखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत बजट उपलब्ध होने के पश्चात् ही संपन्न कराये जावें। कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन की अपेक्षा है कि प्रारंभिक औपचारिकताऍं पूर्ण करने के उपरांत ही कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे। प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईट पर डाला जाये।

सहपत्रः–06 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
21-3-2022
(आर.के. मेहरा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

पृ0 कमाक एफ–43/10/2022/19/यो 1926 भोपाल दिनांक 21 /03/2022
प्रतिलिपिः–

1. माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग के निज सचिव भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
3. मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
4. मुख्य अभियंता (रीवा परि0) लोक निर्माण विभाग रीवा।
5. मुख्य अभियंता (सेतु परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
6. रिकार्ड फाईल लोक निर्माण विभाग योजना शाखा मंत्रालय।

की ओर सूचनार्थ (केवल सरल कमांक–1 हेतु) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्रः–शून्य

21-3-2022
सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय

PATIL/SFC-210-A-2022-2